No. 219/XXXVI(3)/2016/46(1)/2016
Dated Dehradun, July 23, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Appropriation Act, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 14 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 July, 2016.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION ACT, 2016

(Act. No. 14 of 2016)

An

Act.

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the year ending on thirty first day of March, 2017 -

Be it enacted by the State Assembly in the Sixty Seven year of the Republic of India as follows:-

short title

1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation Act, 2016.

Issue of Rs.404222113000 out of the Consolidated Fund of Uttarakhand for the year 2016-2017

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Act, 2016 (Uttarakhand Act no.33 of 2016)] to the sums of Rs 404222113000 (Rs. Forty thousand four hundred twenty two Crore Twenty One Lakhs Thirteen Thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2017 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty first day of March, 2017.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. In thousand)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2		3		
01	LEGISLATURE	Revenue:	345018	14659	359677
		Capital:	152000	0	152000
02	GOVERNOR	Revenue:	0	89181	89181
		Capital:	0	0	0
03	COUNCIL OF MINISTERS	Revenue:	845800	0	845800
		Capital:	1000000	0	1000000
04	JUDICIAL ADMINISTRATION	Revenue:	1695460	522150	2217610
		Capital:	470002	0	470002
05	ELECTION	Revenue:	658680	0	658680
		Capital:	0	0	0
06	REVENUE AND GENERAL ADMINISTRATION	Revenue:	26635807	25937	26661744
		Capital:	807002	0	807002
07	FINANCE, TAX, PLANNING, SECRETARIAT & MISCELLANEOUS SERVICES	Revenue:	59363391	40105580	99468971
		Capital:	881349	20322300	21203649
08	EXCISE	Revenue:	239211	0	239211
		Capital:	0	0	0
09	PUBLIC SERVICE COMMISSION	Revenue:	78767	234183	312950
		Capital:	0	50000	50000
10	POLICE AND JAIL	Revenue:	15758783	0	15758783
		Capital:	200004	0	200004
11	EDUCATION, SPORTS, YOUTH WELFARE & CULTURE	Revenue:	64207380	0	64207380
		Capital:	4990554	0	4990554
12	MEDICAL, HEALTH & FAMILY WELFARE	Revenue:	17641562	0	17641562
		Capital:	1082517	0	1082517
13	WATER SUPPLY, HOUSING & URBAN DEVELOPMENT	Revenue:	10830869	0	10830869
		Capital:	3787864	0	3787864
14	INFORMATION	Revenue:	727196	0	727196
		Capital:	12500	0	12500
15	WELFARE	Revenue:	14613282	0	14613282
		Capital:	362807	0	362807
16	LABOUR & EMPLOYMENT	Revenue:	2140274	0	2140274
		Capital:	142464	0	142464
17	AGRICULTURE WORKS & RESEARCH	Revenue:	8277130	0	8277130
		Capital:	983303	0	983303

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousand)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2		3		
18	CO-OPERATIVE	Revenue:	479191	0	479191
		Capital:	69524	0	69524
19	RURAL DEVELOPMENT	Revenue:	11128161	0	11128161
		Capital:	7721037	0	7721037
20	IRRIGATION & FLOOD	Revenue:	4616546	0	4616546
		Capital:	7698800	0	7698800
21	ENERGY	Revenue:	156612	0	156612
		Capital:	4806402	0	4806402
22	PUBLIC WORK	Revenue:	6916991	73000	6989991
		Capital:	16145733	0	16145733
23	INDUSTRIES	Revenue:	2094816	0	2094816
		Capital:	1467601	0	1467601
24	TRANSPORT	Revenue:	641611	0	641611
		Capital:	600003	0	600003
25	FOOD	Revenue:	3472658	0	3472658
		Capital:	120360	0	120360
26	TOURISM	Revenue:	585503	0	585503
		Capital:	1878003	0	1878003
27	FOREST	Revenue:	6463835	0	6463835
		Capital:	1551507	0	1551507
28	ANIMAL HUSBANDARY	Revenue:	2589860	0	2589860
		Capital:	41001	0	41001
29	HORTICULTURE DEVELOPMENT.	Revenue:	2531356	7797	2539153
		Capital:	0	0	0
30-	WELFARE OF SCHEDULED CASTES	Revenue:	12286828	0	12286828
		Capital:	3232318	0	3232318
31-	WELFARE OF SCHEDULED TRIBES	Revenue:	3408915	0	3408915
		Capital:	1141178	0	1141178
	TOTAL	Revenue:	281431493	41072487	322503980
		Capital:	61345833	20372300	81718133
	GRAND TOTAL		342777326	61444787	404222113

By Order,

R. C. KHULBE,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद, 202 के अधीन दिनांक 11 मार्च, 2016 को राज्य विधानसभा में वर्ष 2016–17 के लिए राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा गया था। विभिन्न अनुदानों की मांग श्री राज्यपाल की सिफारिश पर की गई थी, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 से 18 मार्च, 2016 की अवधि में पारित किया गया।

2. दिनांक 18 मार्च, 2016 (कार्य सूची के मद सं0 25,26,27 और 28) को उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 सदन के पटल पर पुरःस्थापित किया गया था और उसी दिन उस पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त उक्त विधेयक को पारित कर दिया गया।

3. दिनांक 27 मार्च, 2016 को राज्य में भारत का संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत श्री राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जीएसआर 341(ई) जारी हो गयी थी। विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल की अनुज्ञा हेतु दिनांक 28 मार्च, 2016 को संदर्भित किया गया था। श्री राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक को भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख कर पत्र के साथ भारत सरकार को संदर्भित कर दिया गया। विनियोग विधेयक पर अद्यतन कोई अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा श्री राज्यपाल एवं भारत सरकार से अनुरोध भी कर लिया गया है।

4. अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत श्री राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा यह घोषित करने पर कि राज्य की विधानसभा की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य (exercisable) होगी, संसद द्वारा" उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016" ₹ तेरह हजार छह सौ बयालिस करोड़ तैंतालिस लाख पचासी हजार के लिए प्रख्यापित किया गया एवं तत्पश्चात् "उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–33 वर्ष 2016)" ₹ तेरह हजार छह सौ बयालिस करोड़ तैंतालिस लाख पचासी हजार के लिए अधिनियमित किया गया। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को दिनांक 11.05.2016 को वापस ले लिया गया है।

5. रिट याचिका (सिविल) सं0 795 वर्ष 2016 में दिनांक 21.04.2016 को मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अपास्त करते हुए अवधारित किया गया " We would think that we should proceed on the basis that the Money Bill has been declared as passed." मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21.04.2016 के

विरूद्ध भारत संघ ने मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-11667 वर्ष 2016 प्रस्तुत की है, जो विचार के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 11.05.2016 में उल्लेख किया है, "..... the issue of justifiability of the proclamation of President's Rule that was made on 27.03.2016 which has been annulled by the impugned order passed by the High Court will remain alive....."

6. अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित होने तथा तत्पश्चात् अधिनियम सं0 33 वर्ष 2016 अधिनियमित होने के दृष्टिगत् राज्य सरकार का अभिमत है कि राज्य की विधानसभा द्वारा विधिवत् विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित किया गया तथा उसका प्रतिस्थानी अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया। दिनांक 18 मार्च, 2016 को उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 के पारित होने संबंधी तथ्य संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष राज्य सरकार द्वारा रखा जा चुका है।

7. राज्य सरकार के मतानुसार राज्य विधानसभा द्वारा विनियोग विधेयक को वैद्य रूप से पारित किया गया था तथा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा भी मनी बिल को वैद्य रूप से पारित होना पाया गया, जब कि मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह विषय विचाराधीन है। अस्तु, प्रतिस्थानी उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है।

8. लेखानुदान के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के एक भाग के लिए वित्तीय व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए वित्तीय व्यवस्था करना संवैधानिक आवश्यकता है तथा लोक कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिए यह एक संवैधानिक बाध्यता भी है।

9. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 के पारित होने के तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखानुदान को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए यथा प्रतिस्थानी उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 एहतियात स्वरूप पुरःस्थापित किया जा रहा है ताकि राज्य का वित्तीय हित संरक्षित रहे एवं इसे किसी प्रकार के संकट से बचाया जा सके।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधायी/385-2016-100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।